कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर(म.प्र.)

आदेश

क्रं.546 /लेखा/2023 मण्डलेश्वर, दिनांक 21/12/2023

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी भृत्य/वाटरमेन/चौकीदार/स्वीपर की पदोन्नति/नियमितिकरण /उन्नयन/ समयमान वेतनमान समिति के प्रतिवेदन दिनांक 18.10.2023 में की गयी अनुशंसा एवं वरीयता के आधार पर म.प्र. जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम 2016 मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 10.05.17 को प्रकाशित एवं The Madhya Pradesh District Court Technical Manpower (Appointment & Conditions Of Service) नियम 2019 मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 28 जून 2019 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमित भृत्य के पद पर म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के वेतनमान 15500–49900 की पे मेट्रिक्स लेवल 01 (छठवे वेतनमान में 4440–7440+1300) में म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–8–1/2016/नियम/चार दिनांक 20.07.17 के तहत् न्यूनतम प्रारंभिक वेतन 15500/– में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पूर्णतः अस्थाई रूप से निम्नाकिंत शर्तों के अधीन नियमित भृत्य के पद पर पदोन्नत/नियमित किया जाता है :–

क्रं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद एवं स्थान	पदोन्नत/नियमित पद का पद
01	श्री अनुराग रावल	दै.वे.भो. भृत्य, नजारत अनुभाग मण्डलेश्वर	भृत्य

उक्त कर्मचारी का पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किया जावेगा, अतः आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान पदस्थापना पद का कार्य ही संपादित करेगें।

सेवा शर्ते

01. म.प्र.शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्धस्थाई) नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार उपरोक्त कर्मचारीगण की सेवा किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।

02. उक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन रहेगी।

03. उपरोक्त कर्मचारी पदोन्नति दिनांक से 01 वर्ष तक किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगें। कार्यालय की अनुमति के बिना शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि नहीं करेगें और न ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। शर्त उल्लघंन की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

04. उपरोक्त कर्मचारी का 03 वर्ष तक निज अनुरोध पर अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण प्रतिबंधित रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा प्रशासनिक आधार पर अन्तरमण्डलीय स्थानान्तरण कभी भी किया जा सकेगा।

05. उपरोक्त कर्मचारी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने पर अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है एवं पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन में प्रतिकूल टीप होने की दशा में पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं असत्य शपथ पत्र देने संबंधी दाण्डिक कार्यवाही भी की जावेगी।

06. उक्त कर्मचारी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 तथा म.प्र.जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तो) नियम 2016 में विहित प्रावधानों सहित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासन के समस्त सुसंगत सेवा नियमों के प्रावधान लागू होगें।

07. कर्मचारी को महिलाओं के विरूद्ध किसी भी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो तो उसका पदोन्नति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

08. उक्त कर्मचारीगण पर अशंदायी पेंशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होगें।

09. म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 में निर्धारित शर्तों के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियम 6 के उपनियम 1 लगायत 5 का उल्लघंन पाये जाने पर पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

10. आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उक्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़,मण्डलेश्वर

पृ.क्रमांक 3228 / लेखा / 2023 मण्डलेश्वर, दिनांक 21.12.2023

प्रतिलिपि :–

01. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर

02 चतुर्थ जिला न्यायाधीश, मण्डलेश्वर

.... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. श्री अनुराग रावल, दै.वे.भो.भृत्य निवास कार्यालय, चतुर्थ जिला न्यायालय मण्डलेश्वर

.... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04. सेवा अभिलेख प्रति।

05. लेखापाल / वेतन लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डलेश्वर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर